



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 259/2019

दायर दिनांक 14.11.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. मगनाराम पुत्र रामकरण जाति रेगर निवासी तोषिणा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. बिरवल बोहरा पुत्र मदनलाल जाति बावरी निवासी तोषिणा तहसील डीडवाना 2. रामप्यारी पत्नी रामकरण 3. पपली पत्नी मोहनराम 4. धरुदेवी पत्नी उदाराम 5. रामनिवासी पुत्र स्व० गोरधन 6. बजरंगलाल पुत्र स्व० गोरधन 7. भंवरलाल पुत्र स्व० गोरधन समस्त जाति रेगर निवासी तोषिणा तहसील डीडवाना 8. तहसीलदार, डीडवाना
बनाम्	

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील, वादी।
2. श्री मो० रफीक वकील प्रतिवादी सं० 01 ता 03 की और सैं।

—: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 11.03.2020

सरहद तोषिणा के खेत खसरा नम्बर 1508/1195 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1509/1195 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1195/780 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 26.12.2019 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 312 दिनांक 19.02.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 259/2019
दायर दिनांक 14.11.2019, निर्णय दिनांक 11.03.2020
मगनाराम बनाम बिरबल, वगैरा।

द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 312 दिनांक 19.02.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद तोषिणा के खेत खसरा नम्बर 1508/1195 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1509/1195 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1195/780 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 312 दिनांक 19.02.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 312 दिनांक 19.02.2020, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)

सहायक कलेक्टर

(नागीर)

डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)

सहायक कलेक्टर

(नागीर)

डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इबादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाबता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 259/2019

दाखर दिनांक 14.11.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. भगनासाम पुत्र रामकरण जाति रेगर निवासी तोपिणा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. बिरबल बोहरा पुत्र मदनलाल जाति बावरी निवासी तोपिणा तहसील डीडवाना 2. रामप्यारी पत्नी रामकरण 3. पपली पत्नी मोहनराम 4. धरुदेवी पत्नी उदाराम 5. रामनिवासी पुत्र स्व0 गोरधन 6. बजरंगलाल पुत्र स्व0 गोरधन 7. भवरलाल पुत्र स्व0 गोरधन समस्त जाति रेगर निवासी तोपिणा तहसील डीडवाना 8. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 11.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी
मिनजानिय मुददई श्री पूरणसिंह बोहरा वकील, वादी व श्री गो0 रफीक वकील प्रतिवादी
सं0 01 ता 03 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, दावा
डिक्री सादिर कर, सरहद तोपिणा के खेत खसरा नम्बर 1508/1195 रकबा 05 बीघा
13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1509/1195 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर
1195/780 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि का "बार्डमिट्स एण्ड वाउण्ड्स" के बटवारा
कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव
जरिये पत्रांक: 312 दिनांक 19.02.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र
खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 312 दिनांक 19.02.2020, निर्णय एवं डिक्री
का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज-..... मुवलिंग.....-..... बाबत.....-.....

...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसबल मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.03.2020 को सारे
इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जादावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुताफरिफ	-	-	स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जा महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुताफरिफ		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

